

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 524]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 21 अक्टूबर 2020 — आश्विन 29, शक 1942

सहकारिता विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 13 अक्टूबर 2020

## अधिसूचना

क्रमांक/एफ 15-35/15-02/2019/22/39.— छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 16-ग की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन द्वारा प्रदेश के प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों को पुनर्गठित करने के लिये “जिला कोरिया, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना 2019” विभाग के अधिसूचना क्र./एफ 15-35/15-02/2019/22/23 दिनांक 03-08-2019 जारी की गई थी।

2. पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ के प्रस्ताव दिनांक 27-07-2020 द्वारा जिला कोरिया में विद्यमान 23 सोसाइटियों का पुनर्गठन कर 07 नवीन सोसाइटियों का गठन करना प्रस्तावित किया है, जिसके लिए विभाग द्वारा जिला कोरिया के समितियों के पुनर्गठन हेतु अधिसूचना क्रमांक एफ 15-35/15-02/2019/22/22 दिनांक 31-08-2020 जारी की गई, जिसमें हितबद्ध पक्षकार या किसी व्यक्ति से दिनांक 10-09-2020 तक दावा आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु समयावधि निर्धारित की गई थी।

3. निर्धारित समयावधि में जिला कोरिया की समितियों के पुनर्गठन हेतु 10 दावा/आपत्ति प्राप्त हुई। विभाग के पत्र दिनांक 29-09-2020 द्वारा सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कोरिया को प्राप्त दावा/आपत्तियों का निराकरण करने हेतु प्रेषित किया गया। सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कोरिया के प्रतिवेदन दिनांक 06-10-2020 द्वारा सभी 10 दावा/आपत्तियां अमान्य करने का अभिमत विभाग को प्रेषित किया गया है।

4. विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक/एफ 15-35/15-02/2019/22/23 दिनांक 03-08-2019 की कंडिका क्रमांक-5 की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कोरिया के प्रतिवेदन दिनांक 06-10-2020 एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ के प्रतिवेदन दिनांक 09-10-2020 पर विनिश्चय उपरांत, राज्य शासन एतद्वारा जिला कोरिया में विद्यमान 23 सोसाइटियों का पुनर्गठन कर अनुसूची दो एवं तीन में उल्लेखित 07 नवीन सोसाइटियों का गठन करने एवं अनुसूची एक में उल्लेखित सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र में संशोधन करने की कार्यवाही हेतु “जिला कोरिया, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना 2019” एवं अनुसूची एक, दो एवं तीन को अंतिम रूप से अभिप्रमाणित कर प्रकाशित करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
पी.एस. सर्पराज, उप-सचिव.

**जिला कोरिया, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की  
पुनर्गठन योजना, 2019**

**01. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ तथा विस्तार :-**

- (क) यह योजना "जिला कोरिया, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना, 2019" कहलाएगी।
- (ख) यह योजना छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावशील होगी।
- (ग) यह योजना छत्तीसगढ़ राज्य के जिला कोरिया की उन प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों के लिए लागू होगी, जो अनुसूची एक, दो एवं तीन में अधिकथित है।

**02. परिभाषाएँ :- इस योजना में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-**

- (क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्र. 17 सन् 1961)।
- (ख) "नियम" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम, 1962।
- (ग) "पुनर्गठन" से अभिप्रेत है, इस योजना में अधिकथित अनुसार किसी विद्यमान सोसाइटी के कार्यक्षेत्र आस्तियों, दायित्वों तथा सदस्यता आदि का किसी अन्य सोसाइटी को भागतः या पूर्णतः अन्तरण अथवा विभाजन द्वारा नवीन सोसाइटी का गठन।
- (घ) "प्रभावित सोसाइटी" से अभिप्रेत है, कोई ऐसी विद्यमान सोसाइटी जिससे किसी अन्य सोसाइटी को कार्यक्षेत्र, आस्तियां, दायित्व तथा सदस्यता आदि अन्तरित की गई हो।
- (ङ) "परिणामी सोसाइटी" से अभिप्रेत है, कोई ऐसी विद्यमान सोसाइटी जिसे किसी प्रभावित सोसाइटी का कार्यक्षेत्र, आस्तियां, दायित्व तथा सदस्यता आदि अन्तरित की गई हो।
- (च) "नवीन सोसाइटी" से अभिप्रेत है, कोई ऐसी सोसाइटी जो विद्यमान नहीं हो परन्तु जिसे इस योजना के परिणामस्वरूप रजिस्ट्रीकृत किया जाए।
- (छ) "बैंक" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य की जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, अम्बिकापुर।
- (ज) "रजिस्ट्रार" से अभिप्रेत है, सहकारी सोसाइटियों का रजिस्ट्रार अथवा छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अधीन नियुक्त रजिस्ट्रार की शक्तियां जिसे प्रयोक्त हो।

**03. पुनर्गठन की रीति :-**

- (क) किसी विद्यमान सोसाइटी के कार्यक्षेत्र, आस्तियों, दायित्वों, कर्मचारी वृन्द तथा सदस्यता आदि को किसी अन्य एक या अधिक विद्यमान सोसाइटियों को भागतः या पूर्णतः अन्तरित करके, या
- (ख) किसी विद्यमान सोसाइटी या सोसाइटियों को दो या अधिक नवीन सोसाइटियों में विभाजित करके, या
- (ग) किसी विद्यमान सोसाइटी या किन्हीं विद्यमान सोसाइटियों को उक्त (क) एवं (ख) दोनों में उल्लेखित रीतियों से, किया जायेगा।

**04. पुनर्गठन :- नियत तिथि से -**

- (क) "अनुसूची-एक" के कॉलम (2) में अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र में से कॉलम (3) में अधिकथित कार्यक्षेत्र अपवर्जित हो जाएगा और ऐसा अपवर्जित कार्यक्षेत्र उसी के समक्ष कॉलम (4) में अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित हो जाएगा।
- (ख) "अनुसूची-दो" के कॉलम (2) में अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों का विभाजन कॉलम (3) में अधिकथित नवीन सोसाइटियों में हो जाएगा तथा ऐसी नवीन सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र कॉलम (4) में उनके समक्ष अधिकथित अनुसार होंगे।
- (ग) "अनुसूची-तीन" के कॉलम (2) में अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र में से कॉलम (3) में अधिकथित कार्यक्षेत्र अपवर्जित हो जाएगा और ऐसा अपवर्जित कुछ क्षेत्र उन्हीं के समक्ष कॉलम (4) में अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित हो जाएगा तथा कुछ क्षेत्र उन्हीं के समक्ष कॉलम (5) में अधिकथित नवीन सोसाइटियों का कार्यक्षेत्र हो जाएगा।

**05. सदस्यता, आस्तियां एवं दायित्व :-**

- (क) प्रभावित सोसाइटियों के अपवर्जित कार्यक्षेत्र से संबंधित सदस्यता, आस्तियां एवं दायित्व उन परिणामी सोसाइटियों को अन्तरित हो जाएंगे जिन्हें ऐसे अपवर्जित कार्यक्षेत्र अन्तरित हुए हों।

- (ख) प्रभावित सोसाइटियों के ऐसे अपवर्जित कार्यक्षेत्र जिनसे नवीन सोसाइटियों का गठन हो रहा हो, से सम्बंधित सदस्यता, आस्तियां एवं दायित्व नवीन सोसाइटियों की सदस्यता, आस्तियां एवं दायित्व होंगे।
- (ग) आस्तियों तथा दायित्वों का विभाजन करने के लिए सामान्यतया 30 जून, 2019 की स्थिति में सदस्यों पर अवशेष ऋण को आधार माना जाएगा।

**06. रजिस्ट्रेशन/निरसन :-**

- (क) इस योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप जिन नवीन सोसाइटियों का गठन होना आशायित होगा उनके रजिस्ट्रीकरण के आदेश, प्रमाण पत्र तथा उपविधियां रजिस्ट्रार के द्वारा या उसके अधीनस्थ ऐसे संयुक्त/उप/सहायक रजिस्ट्रार के द्वारा तैयार किये एवं जारी किये जाएंगे, जो अधिनियम की धारा 9 के अधीन रजिस्ट्रीकरण करने के लिए सशक्त होगा।
- (ख) जहाँ आवश्यक हो वहाँ ऐसी प्रभावित सोसाइटियों, जिनके अस्तित्व को बनाये रखना आवश्यक नहीं होगा, के रजिस्ट्रीकरण को सक्षम अधिकारी द्वारा संबंधित विधि अनुसार रद्द किया जावेगा।

**07. कर्मचारीवृन्द :-**

- (क) नवीन सोसाइटियों में प्रबन्धक की नियुक्ति नियमों के अनुसार की जाएगी।
- (ख) प्रभावित सोसाइटियों के कर्मचारीवृन्द अन्तरित कार्यक्षेत्र के अनुरूप परिणामी सोसाइटियों के कर्मचारी हो जाएंगे।

**08. अधिकार, हित और कर्तव्य आदि :-**

- (क) परिणामी सोसाइटियों को अन्तरित कार्यक्षेत्र से सम्बन्धित समस्त अधिकार, हित, कर्तव्य बाध्यताएँ आदि उनमें ही निहित होंगी।
- (ख) नवीन सोसाइटियों में उनके कार्यक्षेत्र से सम्बन्धित समस्त अधिकार, हित कर्तव्य, बाध्यताएँ आदि निहित होंगी।

**09. विवाद :-** इस योजना से प्रभावित सदस्यता, आस्तियों, दायित्वों एवं कर्मचारीवृन्द विषयक कोई भी विवाद अधिनियम की धारा 64 के अधीन संयुक्त पंजीयक/पंजीयक द्वारा निराकृत किया जाएगा।

**10. आदेश जारी करने की शक्तियां :-** इस योजना के क्रियान्वयन में आने वाले कठिनाइयों, समस्याओं, विवादों आदि को दूर करने तथा योजना के क्रियान्वयन को सुकर बनाने के लिए राज्य सरकार तथा रजिस्ट्रार ऐसे अनुषांगिक और परिणामिक आदेश कर सकेंगे जैसा कि परिस्थितियों द्वारा अपेक्षित हो, यह और भी कि रजिस्ट्रार समय-समय पर ऐसा निर्देश/मार्गदर्शन भी जारी कर सकेगा, जैसा कि वह आवश्यक समझे।

संलग्न :- अनुसूची - एक, दो एवं तीन

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
पी.एस. सर्पराज, उप-सचिव.

जिला कोरिया, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की  
पुनर्गठन योजना, 2019

**अनुसूची-एक**

| क्र. | विद्यमान सोसायटी जो प्रभावित है                 | अपवर्जित कार्यक्षेत्र<br>(ग्रामों का नाम) | विद्यमान सोसायटी जिसमें अपवर्जित क्षेत्र<br>जुड़ा है (परिणामी सोसायटी) |
|------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 2                                               | 3                                         | 4                                                                      |
| 1    | आदिमजाति सेवा सहकारी समिति<br>मर्यादित, सोनहत   | अमहर                                      | आदिमजाति सेवा सहकारी समिति<br>मर्यादित, रजौली                          |
| 2    | आदिमजाति सेवा सहकारी समिति<br>मर्यादित, खड़गवां | जिल्लीबांध                                | आदिमजाति सेवा सहकारी समिति<br>मर्यादित, जिल्दा                         |
|      |                                                 | ठग्गांव, बहालपुर, दुग्गी,<br>सिंघत        | आदिमजाति सेवा सहकारी समिति<br>मर्यादित, चिरमी                          |
| 3    | आदिमजाति सेवा सहकारी समिति<br>मर्यादित, जनकपुर  | जमथान                                     | आदिमजाति सेवा सहकारी समिति<br>मर्यादित, गढ़वार                         |

|   |                                                 |                                      |                                                |
|---|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|
| 4 | आदिमजाति सेवा सहकारी समिति<br>मर्यादित, कोड़ा   | छिपछिपी, भौता, नारायणपुर             | आदिमजाति सेवा सहकारी समिति<br>मर्यादित, चैनपुर |
| 5 | आदिमजाति सेवा सहकारी समिति<br>मर्यादित, कोटाडोल | बरेल, धेबाताल, उमर,<br>उमरवाह, चुटकी | आदिमजाति सेवा सहकारी समिति<br>मर्यादित, जनकपुर |

## अनुसूची-दो

| क्र. | विद्यमान सोसायटी जो प्रभावित है<br>(प्रभावित सोसायटी) | नवीन सोसायटी                                     | नवीन सोसायटी का कार्यक्षेत्र                                                                                                                                                                   |
|------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 2                                                     | 3                                                | 4                                                                                                                                                                                              |
| 1    | आदिमजाति सेवा सहकारी समिति<br>मर्यादित, माड़ीसरई      | आदिमजाति सेवा सहकारी<br>समिति मर्यादित, सिंगरौली | सिंगरौली, अमराडंडी, हरई, डोमहरा,<br>बेलगांव, चरखर, नौढ़िया, देवगढ़, जनुआ,<br>मरखोही, पड़ौली                                                                                                    |
| 2    | आदिमजाति सेवा सहकारी समिति<br>मर्यादित, केल्हारी      | आदिमजाति सेवा सहकारी<br>समिति मर्यादित, डोड़की   | पसौरी] डोड़की] बुलकीटोला] मौहरी]<br>रामानुजनगर] घाघरा] तिलोखन] बहेरा टोला]<br>भुईहारीपारा] धनहर] श्रीरामपुर] बोदरीटोला]<br>चरवाही] केलुआ] आमादमका] खरला] मूडधोवा]<br>भरतपुर] हनुमानपुर         |
| 3    | आदिमजाति सेवा सहकारी समिति<br>मर्यादित, छिंदडांड      | आदिमजाति सेवा सहकारी<br>समिति मर्यादित, सलबा     | सलबा] सलका] मेकों] करीलधोवा] भंडारपारा]<br>ढोढीबहरा] जालियाडाड] गदबदी] डोंगरीपारा]<br>सारा] लोटानपारा] जगतपुर] दुर्गापुर] नगर]<br>उमझर] तिलवनडाड] विशुनपुर] दूधनियाखुर्द]<br>जूनापारा] शंकरपुर |

## अनुसूची-तीन

| क्र. | विद्यमान सोसाइटी जो प्रभावित है<br>(प्रभावित क्षेत्र) | अपवर्जित कार्यक्षेत्र<br>(ग्रामों का नाम)                                                  | विद्यमान सोसाइटीजिसमें<br>अपवर्जित क्षेत्र जुड़ा है<br>(परिणामी सोसायटी) | नवीन सोसाइटीजिसमें<br>अपवर्जित क्षेत्र जुड़ा है                                                         |
|------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 2                                                     | 3                                                                                          | 4                                                                        | 5                                                                                                       |
| 1    | आदिमजाति सेवा सहकारी समिति<br>मर्यादित, धौराटिकरा     | कंचनपुर] खुटरापारा] बसदेवपुर<br>खोड़री, डबरीपारा<br>आमापारा, चारपारा                       | आदिमजाति सेवा सहकारी समिति<br>मर्यादित, जामपारा<br>—<br>—<br>—           | —<br>आदिमजाति सेवा सहकारी समिति<br>मर्यादित, तरगंवा<br>आदिमजाति सेवा सहकारी समिति<br>मर्यादित, झरनापारा |
| 2    | आदिमजाति सेवा सहकारी समिति<br>मर्यादित, जामपारा       | चोपन] भखार] तेलईधार                                                                        | —                                                                        |                                                                                                         |
| 3    | आदिमजाति सेवा सहकारी समिति<br>मर्यादित, सरभोका        | झरनापारा] कदमनारा] सतीपारा]<br>जयपुर] गोलहाघाट] बरपारा]<br>जटासेमर] तमजीरा] सनबोथा<br>कसरा | —<br>—<br>—                                                              | आदिमजाति सेवा                                                                                           |

|   |                                             |                                                                                               |                                             |                                               |
|---|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 4 | आदिमजाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, पटना   | तरगंवा] अमहर] छींदिया] रामपुर] चिरगुड़ा] कोचिला, शिवपुर, पसला                                 | —                                           | सहकारी समिति मर्यादित, तरगंवा                 |
|   |                                             | गिरजापुर] इमरिया] आजीकला] पिपरा] आजोखुर्द] जमड़ी] टेगनी] सावरावा] विलारों] खौंड] टेमरी] सोरगा | —                                           | आदिमजाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, गिरजापुर |
| 5 | आदिमजाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, पोड़ी  | रतनपुर, कोटया, बड़ेमुड़ा, धनपुर                                                               | आदिमजाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, जिल्दा | —                                             |
|   |                                             | तोलगा                                                                                         | —                                           | आदिमजाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, बैमा     |
| 6 | आदिमजाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, जिल्दा | बैमा, बड़ेकलुवा, गेजी, टेडमा, अमका, बारी, मुगुम, गंगापुर, सागरपुर, गणपतपुर, छुरी              | —                                           | —                                             |
|   |                                             | बड़ेसाल्ही, छोटेसाल्ही, सांवला, पंडिता, बचरा, लोटाबहरा                                        | आदिमजाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, पोड़ी  | —                                             |